

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची

पत्रांक- वि०प्रा०वि०विध-39/09/03/प्रौजना

/राँची, दिनांक-11.05.2023

प्रेषक,

अनौपचारिक
रूप से
परामर्शित

राहुल कुमार पुरवार,
सरकार के सचिव।

द्वारा :- आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड, राँची।

विषय :- राजकीय पोलिटेकनिक खरसावों के स्थापना का वित्तीय वर्ष 2023-24 तक के लिये अवधि विस्तार के संबंध में।

आदेश:-स्वीकृत।

दिनांक 27.04.2004 को माननीय मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में सरायकेला जिला में नये पोलिटेकनिक संस्थान प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार विभागीय संलेख ज्ञापक 1651 दिनांक 30.12.2005 में सन्निहित प्रस्ताव मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 28.01.2006 के मद संख्या 08 के रूप में सम्मिलित करते हुए राजकीय क्षेत्र में खरसावों के नए पोलिटेकनिक संस्थान के स्थापना की अनुमति प्रदान की गई है।

2. विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 1037 दिनांक 31.07.2006 द्वारा राजकीय पोलिटेकनिक खरसावों में योजनान्तर्गत हेतु शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मियों यथा राजपत्रित 33 (तैंतीस), अराजपत्रित 51 (एकावन) कुल 84 पदों की सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई है।
3. वित्तीय वर्ष 2006-07 से राजकीय पोलिटेकनिक, खरसावों लगातार कार्यरत है एवं प्रत्येक वर्ष छात्रों का नामांकन किया जा रहा है। यह पोलिटेकनिक संस्थान योजनान्तर्गत संचालित है तथा कर्मचारियों के वेतनादि का भुगतान योजनान्तर्गत प्राप्त राशि से की जाती है। योजना मद अन्तर्गत संचालित सभी पद स्थायी प्रकृति के हैं।
4. वित्तीय वर्ष 2017-18 से योजना-सह-वित्त विभाग द्वारा योजनान्तर्गत बजट को राज्य स्कीम के रूप में करते हुए राशि आवंटित की जा रही है।
5. वर्तमान में राजकीय पोलिटेकनिक, खरसावों लगातार संचालित है एवं भविष्य में आगे संचालित रहेगी। विभागीय स्वीकृत्यादेश सं० 10/योजना दिनांक 29.07.2022 के द्वारा राजकीय पोलिटेकनिक, खरसावों का राज्य स्कीम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 तक के लिये डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों यथा राजपत्रित 33 एवं अराजपत्रित 51 कुल 84 स्वीकृत पदों का अवधि विस्तार प्रदान किया जा चुका है।



6. अतः राजकीय पोलिटेकनिक, खरसावों का राज्य स्कीम (योजना) अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 तक के लिये डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु शिक्षकों एवं शिक्षकैतर कर्मचारियों यथा राजपत्रित 33 एवं अराजपत्रित 51 कुल 84 स्वीकृत पदों का अवधि विस्तार प्रदान किया जाता है।
7. प्रस्ताव पर माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।
8. प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

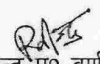
झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से


10.5.23
(राहुल कुमार पुरवार)
सरकार के सचिव

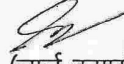
ज्ञापांक-वि0प्रा0विविध-39/09/03/योजना /राँची, दिनांक- 11.05.2023
प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, सरायकेला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


11.5.23
(राहुल कुमार पुरवार)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक-वि0प्रा0विविध-39/09/03/योजना /राँची, दिनांक- 11.05.2023
प्रतिलिपि :- वित्त विभाग/माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/आंतरिक वित्तीय सलाहकार/निदेशक, तकनीकी शिक्षा/प्रभारी प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक, खरसावों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(रवीन्द्र प्र0 बर्णवाल)
प्रशाखा पदाधिकारी


(अजय कुमार सिंह)
अवर सचिव


(जार्ज कुमार)
संयुक्त सचिव


10.5.23
(राहुल कुमार पुरवार)
सरकार के सचिव